

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक छात्रर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के काम में हो विद्यार्थी और वे जो कि किसी एक छात्रसंघ में काम में। समस्त विद्यार्थी पर यदि पूर्व में एक छात्रर कुल हो तो वे पर समस्त उन विद्यार्थी उनका विद्यार्थी उन विद्यार्थी संघ में।



आम / सुनिश्चिती
दूरभाष / (0751) 2241895
(0751) 2442829
फैक्स / (0751) 2241758

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:अफ/सम्बद्धता:2012/ 5886

दिनांक: 11/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बन्देमातरम् कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर (0751-4065818) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संघीयित जी.एन., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442822)
- (2) प्रो. ए.के. हल्ने, आचार्य, रसायन विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) प्रो. टी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, परीक्षार सफ़ा, उचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, प्रौढ़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/अडिजिन्स तथा शिक्षक सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानें अर्पित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिवस में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं उच्च सगण सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

साथ के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निम्नानुसार अर्थात् जमा करवाकर बचीन समिति गरिब की जायेगी। जिले 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना स्वयं को प्रवेश देना अवैधान्तिक है।

निरीक्षण समिति को साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की पञ्चुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को भी ए / डी ए / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की और भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। तब निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्ता उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)